पत्रांक–बी0एस0 3–10927 / 2002 1451

बिहार सरकार

मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग

प्रेषक,

सुकुमार झा,
उप निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

फरजाना बेगम, सचिव,
रैपीड एक्शन फॉर ह्यूमेन एडभान्समेंट ट्रैडिशन (राहत)
राहत कॉलोनी बजलामनी रोड, निकट कबीर चौक,
पो0+जिला–किशनगंज, पिन कोड–855107 (बिहार)।

पटना, दिनांक:– 27-12-18

विषयः– " रैपीड एक्शन फॉर ह्यूमेन एडभान्समेंट ट्रैडिशन (राहत)" **(निबंधन संख्या– 391/2002-2003) नामक संस्था का स्मृति पत्र एवं नियमावली की सत्यापित प्रति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपका आवेदन R-813/RSA-2018 दिनांक 05.10.2018 के आलोक में संस्था का स्मृति पत्र एवं नियमावली की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए भेजी जा रही है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुकुमार झा)
उप निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

3344. 25/1/18. 50/- Rapid Action for Human Advancement Tradition (RAHAT) Kishanganj

बिहार BIHAR

M 891942

20 JAN 2018

Md. Sharfe Alam
STAMP VENDOR
Kishanganj
Licence No.-01/99/KSG

23.3.18

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

3345 25/1/18 . 100 - Rapid Action for Human Advancement Tradition (RAHAT) Kishanganj

बिहार BIHAR

M 891939

कोषागार पदाधिकारी

20 JAN 2018

किशनगंज

Md. Sharfe Alam
STAMP VENDOR
Kishanganj
Licence No-01/99/KS

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

M 891940

Md. Shakil Alam
STAMP VENDOR
Kishanganj
Licence No-01/99/KSG

कोषागार पदाधिकारी
20 JAN 2018
किशनगंज

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

3344 25/1/18 WOL Rapid Action for Human Advancement Tradition (RAHAT) Kishanganj

बिहार BIHAR

M 891941

कोषागार पदाधिकारी

20 JAN 2018

किशनगंज

Md. Sharfe Alam
STAMP VENDOR
Kishanganj
Licence No-01/00/KS

23.3.18

" रैपीड एक्शन फॉर ह्यूमैन एडभान्समेंट ट्रेडिशन "
(राहत)
का
संशोधित स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम :– इस संस्था का नाम " रैपीड एक्शन फॉर ह्यूमैन एडभान्समेंट ट्रेडिशन " (राहत) होगा ।

2. निबंधित कार्यालय :– मुहल्ला–' राहत कॉलोनी, कजलामनी रोड निकट–कबिर चौक,पो0+थाना–किशनगंज, जिला– किशनगंज, पिन कोड– 855107, बिहार रहेगा ।

   परन्तु आवश्यकतानुसार संस्था के पते में कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसानुसार परिवर्तन किया जा सकता है । निबंधित पता बदलने की सूचना 15 दिन के अन्दर महानिरीक्षक निबंधक बिहार को दे दी जायेगी ।

3. कार्यक्षेत्र :– इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा ।

4. उद्देश्य :– इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य सुनिश्चित है :–

4/1 कार्यक्षेत्र के लोगों में सांस्कृतिक चेतना जागृत करना, उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास की दिशा में नाटक, प्रहसन, कीर्त्तन, कौव्वाली, संगीत, व्यायाम, खेलकूद एवं योगासन आदि कार्यक्रमों का आयोजन प्रशिक्षण एवं संचालन करना । ज्ञानवर्द्धन चलचित्रों एवं टी0बी0 सरियल का निर्माण करना लुप्त होते पारम्परिक लोक कलाओं को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए उनके संरक्षण सम्पोषण एवं सम्बर्द्धन का कार्य करना ।

4/2 अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़े वर्गो के सामाजिक, आर्थिक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास का समुचित प्रयास करना तथा उनके उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना ।

4/3 उपभोक्ता संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करना एवं उपभोक्ता सहायता केन्द्र की स्थापना करना ।

4/4 अनुसूचित जाति अ0/ज0 जाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गो के सामाजिक, आर्थिक शैक्षणिक, मानसिक एवं शिविर, सेमिनार और वाद–विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना ।

4/5 अनुसूचित जाति / अ0ज0 जाति, साम के अन्य कमजोर वर्गो एवं रोजगार विहित युवकों युवतियों के लिए रोजगारोन्मुख व्यावसायिक केन्द्र स्थापित कर संचालन करना । उपर्युक्त वर्गो तथा अल्पसंख्यकों के बालक–बालिकाओं के लिए समुचित शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना एवं हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार का कार्य करना ।

4/6 क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के विकासार्थ विविध कार्यक्रमों का संचालन करना । मैट्रिक मिडिल एवं प्राइमरी स्तर की प्रौढ महिलाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम ;एक वर्ष एवं द्विवर्षीयद्ध तैयार करना तथा उनके लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करना । निर्धन महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादन एकक, डेयरी एकक एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना ।

Farzana Begum

4/7 समाज के सभी वर्गो, विशेषकर पिछडे तथा अल्पसंख्यक निरक्षरों के बीच नशाखोरी उन्मूलन अभियान के अन्तर्गत जागरूकता प्रसार कार्यशाला का आयोजन प्रशिक्षण शिविरों का संचालन तथा नशाखोरी के पुनर्वास की व्यवस्था करना, अवैध शराब चुवाई को बन्द कराना साथ ही गांजा अफीम, हिरोइन आदि मादक वस्तुएं के दुष्प्रभाव के प्रति मसजा में जागरूकता पैदा करना ।

4/8 एड्स जैसे जानलेवा रोग के प्रति आम जनता में व्यापक जागरूकता अभियान चलाना वेश्यावृति जैसे घृणित व्यवसाय में लिप्त युवतियों एवं महिलाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाना, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर स्वनियोजन योग्य बनाना तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा के साथ जोड़ना ।

4/9 बालक / बलिकाओं के यौन शोषण को रोकना, बाल मजदूरी की कुप्रथा को रोकना, बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराना और उनके पुनर्वास, शिक्षा उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना तथा उन्हें कानूनी अधिकार दिलाने के लिए अभियान चलाना ।

4/10 समाज के वृद्धों के लिए 'ओल्ड एज डे केयर सेन्टर' की स्थापना करना, उन्हें हर प्रकार का संरक्षण देना तथा उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना ।

4/11 असहाय, अपेक्षित एवं तलाकसुदा महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था करना । समाज से उपेक्षित, अनार्थ, दिग्भ्रमित बच्चों के पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ।

4/12 अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना तथा विधवा पुनर्विवाह की समुचित व्यवस्था कर समाज में आदर्श स्थापित करना ।

4/13 राष्ट्र को संकटकालीन स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं एवं आकस्मिक घटनाओं जैसे बाढ, भूकम्प, अग्निकाण्ड, आकाल या संक्रामक रोगों के प्रसार जैसे दुर्भाग्यपूर्ण समय में सेवा शिविरों का संचालन, राहत कार्यो की समुचित व्यवस्था करना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना करना ।

4/14 साम्प्रदायिक सद्भाव के उद्देश्य से सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं सेमिनार आदि का संचालन करना । साम्प्रदायिक दंगों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में राहत शिविरों का संचालन तथा सौहार्दपूर्ण सौम्य वातावरण के निर्माण के लिए सार्थक पहल करना ।

4/15 राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय एकता शिविरों का आयोजन करना । राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक गरिमा से अवगत होने के लिए शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक भ्रमण की व्यवस्था कराना ।

4/16 स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के अन्तर्गत परिवार कल्याण की समुचित जानकारी विशेष कर ग्रामीण महिलाओं को देना, बढ़ती आबादी के भयानक अंजाम से आम जनता को अवगत कराना । रक्तदान, प्रतिरक्षण नेत्र चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना, पोलिया उन्मूलन जागरूकता अभियान, टीकाकरण, कैंसर जैसे असाध्य रोग से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन तथा कुष्ठ रोगियों के उपचार एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना ।

4/17 आदर्श ग्राम के निर्माण के लिए पर्यावरण की समुचित व्यवस्था करना, गंदी बस्तियों की सफाई, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सुलभ शौचालय एवं स्नानागर की व्यवस्था लघु पथ एवं नलियों के लिए सरकारी सहायता एवं संस्था के उपलब्ध स्रोतों से समुचित व्यवस्था करना ।

4/18. सरकार के विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु प्रत्येक विभाग से संबंध स्थापित कर सरकारी स्रोतों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करना लोगों के विकास संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी देना तथा कार्यक्रमों का संचालन करना ।

Farzana Begum

4/19 पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम नागरिकों को समुचित जानकारी देना,ग्राम सभा,वार्ड सदस्य,पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों को उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का बोध कराने के लिए शिविरों,कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना ।

4/20 ग्राम स्वरोजगार को बढ़ावा देना खादी वस्त्रों के निर्माण के लिए अमर चर्खा आदि की व्यवस्था करना, पारम्परिक ग्रामीण शिल्प को बढ़ावा देना तथा जातिगत पारम्परिक कला को कुशलता प्रदान करना ।

4/21 पर्यावरण संबंधी जानकारी देकर आम जनता को स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए प्रेरित करना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं मिट्टी प्रदूषण के प्रति जागरूकता पैदा करना वन संरक्षण के प्रति रूचि पैदा करना तथा हरियाली अभियान चलाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित करना ।

4/22 विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग प्रदान करना, उनके पुनर्वास शिक्षा, रोजगार आदि के लिए हर संभव कार्य करना तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से लाभान्वित करना ।

4/23 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की व्यवस्था तथा उसके उपयेाग के प्रति आम जनता में रूचि पैदा करना तथा लाभ से लोगों को अवगत कराना ।

4/24 उन्नत खेती के लिए सिंचाई, भूमि समतलीकरण, कृषि अनुसंधान केन्द्र, खाद तथा बीजों की व्यवस्था करना तथा ग्रामीण कृषकों को आधुनिक एवं नयी वैज्ञानिक खेती के तकनीक की जानकारियॉ उपलब्ध कराना एवं विज्ञान और प्रावैधिकी के प्रति बच्चों के बीच सेमिनार, प्रतियोगिता एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

4/25 कामकाजी महिलाओं के लिए उनकी आवासीय व्यवस्था हेतु हॉस्टल, अवकाश गृह,होली डे होम एवं उनके बच्चों के लिए पालना घर की समुचित व्यवस्था करना ।

4/26 बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु मुर्गीपालन, मधुमक्खीपालन पशुपालन, मत्स्यपालन तथा डेयरी प्रोजेक्ट का संचालन करना ।

4/27 महिलाओं एवं युवकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना ।

4/28 समाज में आम लोगों के बौद्धिक विकास हेतु पुस्तकालय, वाचनालय आदि की व्यवस्था एवं संचालन करना तथा विभिन्न भाषाओं में पत्र–पत्रिका पेरियोडिकल, पर्चा पुस्तक आदि का संकलन एवं प्रकाशन करना तथा इसके माध्यम से लोगों को दिशा निर्देश देना और उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने हेतु कार्य करना ।

4/29 समाज के कमजोर एवं पिछडे विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं, बच्चों एवं विकलांगों के बीच विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, हस्तकला तथा पारम्परिक कलाओं को जीवित रखने के लिए प्रोत्साहित करना, डेयरी एकक, सिलाई, बुनाई, टंकण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना । साथ ही वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा, बालबाड़ी पालना घर एवं कामकाजी महिलाओं के लिए अल्पावास केन्द्र की स्थापना करना ।

4/30 मानवीय मूल्यों की प्राप्ति के लिए मानव अधिकार केन्द्रों की स्थापना करना, अधिकार एवं कर्त्तव्यों के प्रति लोगों को सजगता प्रदान करने हेतु अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में सार्थक पहल करना ।

4/31 सरकार द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में समुचित सहयोग प्रदान करना तथा उन सब कार्यक्रमों जो संस्था निबंधन की धारा– 21/1860 के अन्तर्गत आते है का संचालन करना ।

Farzana Begum

4/32 संस्था अपनी आवश्यकतानुसार मूलभूत संरचनाओं का निर्माण अपने निजी तथा सरकारी सहयोग से करेगी ।

4/33 संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य संस्थाओं एवं जानकार लोगों से संबंध स्थापित कर उनके आवश्यक सहयोग एवं सुझाव प्राप्त करेगी ।

4/34 संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं तथा आम जनता से दान, अनुदान, चंदा, उपहार तथा)ण ग्रहण करेगी ।

4/35 संस्था की सेवा सब धर्मो, जातियों एवं वर्गो के लिए बिना किसी भेदभाव के सर्वथा उपलब्ध रहेगी ।

4/36 लुप्त होते ग्राम उद्योग को पुनजीवित करना स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का उद्योग के लिए सदुपयोग करना बॉस जूट, घास, केला आदि से आधुनिक आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण करना ।

4/37 स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराना, सरकार एवं जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर ग्राम उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं को देश के विभिन्न भागों में लगने वाली प्रदर्शियों एवं मेलों में भेजना

4/38 कृषि, उद्योग एवं अन्य आर्थिक विकास के कार्यक्रमों की वैज्ञानिक एवं नये तकनीक व जानकारी आम जनता को देना ।

4/39 सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए हर तरह की जानकारी आम जनता को देना ।

4/40 बाल अधिकार, महिला अधिकार एवं नागरिकों के अधिकार तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा बनाये गये कानून की जानकारी आम जनता को देना, विभिन्न क्षेत्रों में कानूनी जानकारी रखने वाले अधिवक्ताओं को जन सभाओं में आमंत्रित करना एवं उनका व्याख्यान आयोजित करना ।

4/41 लोगों के स्वास्थ्य सेवा हेतु अस्पताल एवं स्वास्थ्य शिक्षण–प्रशिक्षण,योग प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना और लोगों को स्वस्थ्य एवं निरोग बनाना । बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक्स एवं तकनीकी गैर तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का संचालन कर लोगों के हुनर स्कील डेभलपमेंट का विकास करना एवं स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनने में मदद करना ।

4/42 संस्था दलित गरीब, शोषितों, गांव के उपेक्षित कारीगरों, किसानों, बच्चों महिलाओं, हरिजनों एवं समाज के अन्य जरूरत मंद लोगों के सर्वागीण विकास के हित व सब कार्यक्रम चलायेगील जो संस्था के उद्देश्यों तथा संसथा पंजीयन अधिनियम्म 21/1860 के अनुकूल हो तथा आम जनता के हित में हो ।

Farzana Begum

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/ पति का नाम, पता, पेशा पद एवं स्वहस्ताक्षरित फोटो नीचे दिया गया है । वर्त्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य है,जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौपा गया है ।

क्र0	नाम, पिता/ पति का नाम	पता	पेशा	पद	स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो
1	2	3	4	5	6
1	मो0 जियाउल हक पिता–समसुल होदा	जपासा टोला, भातगॉव, गलगलिया, जिला–किशनगंज पिन–855106	समाज सेवा	अध्यक्ष	 मो0 जियाउल हक
2	श्रीमती फरजाना बेगम पति–मो0 निहाल अख्तर	राहत कॉलोनी, कजलामनी रोड, वार्ड नं0–2, जिला–किशनगंज पिन–855107	समाज सेवा	सचिव	 Farzana Begum
3	श्री नौशाद अली पिता– एहसानुर रहमान	ग्राम+पो0– छतरगाछ प्रखण्ड– पोठिया जिला– किशनगंज पिन–855117	समाज सेवा	कोषाध्यक्ष	 Naushad Ali
4	माला मिंका सिन्हा पति–गोपू कुमार दास	काजिंया कौजिंया, पो0–अंगरहाट, जिला–पूर्णियॉ पिन–855115	समाज सेवा	सदस्य	 Chandrika Sinha

NOTARY
MD. OMAR
Kishanganj (Bihar)
Attested
Kishanganj (Bihar)

1	2	3	4	5	6
5	मो0 शारीक नदीम पिता–स्व0 मो0 यासीन	ग्राम+पो0–ढ़चना प्रखंड–बारसोई जिला–कटिहार पिन–854317	समाज सेवी	सदस्य	 Md. Sharique Nadeem
6	राबीया पति–मो0 मुन्ना	नया वस्ती, नवाबगंज पो0–किशनगंज जिला–किशनगंज पिन–855107	समाज सेवी	सदस्य	 राबीया
7	चन्दन कुमार श्रीवास्तव पिता–सत्यनारायण प्रसाद	ग्राम–मोतीबाग, करबला रोड, वार्ड नं0–7 प्रखंड–किशनगंज जिला–किशनगंज पिन–855108	समाज सेवी	सदस्य	 Chandan Kr Srivastava

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित स्मृति पत्र की सच्ची प्रति है ।

मो० जियाउल हक़ — अध्यक्ष

Naushad Ali — कोषाध्यक्ष

Farzana Begum — सचिव

Attested
MD. OMAR
NOTARY
Kishanganj (Bihar)
Authorised U/S 8 (e) of the
Notary ACT (Act) LVIII of 1951

NOTARY
MD. OMAR
Kishanganj (Bihar)
GOVT OF BIHAR

" रैपीड एक्शन फॉर ह्यूमैन एडभान्समेंट ट्रेडिशन "
(राहत)
की
संशोधित नियमावली

1. परिभाषा

क–	संस्था से अभिप्राय है	:–	" रैपीड एक्शन फॉर ह्यूमैन एडभान्समेंट ट्रेडिशन " (राहत)
ख–	समिति से अभिप्राय है	:–	संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
ग–	पदाधिकारी से अभिप्राय है	:–	अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
घ–	वर्ष से अभिप्राय है	:–	01ली अप्रील से 31 मार्च तक ।
ङ–	एक्ट से अभिप्राय है	:–	सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 21, 1860

2. सदस्यता

प्रत्येक व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो जो संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हो वे संस्था के सदस्य बन सकते है । सदस्यता ग्रहण करने हेतु उसे विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा । जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी । संस्था के प्रत्येक सदस्य को 51/– रूपया प्रवेश शुल्क एवं 101/– रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।

3. सदस्यता की समाप्ति :–

नीचे लिखे परिस्थितियों में संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदसय की सदस्यता समाप्त मानी जायेगी ।

क– मृत्यु होने पर ।
ख– पागल या दिवालिया होने पर ।
ग– न्यायालय द्वारा किसी संज्ञेय अपराध में दंडित होने पर ।
घ– संस्था के उद्देश्यों एवं नियमों के विरूद्ध आचरण करने पर ।
ङ– त्याग पत्र देने एवं कार्यकारिणी समिति द्वारा मंजूरी होने पर ।
च– पूर्व सूचना वगैर कार्यकारिणी समिति के तीन बैठकों में लगातार भाग नहीं होने पर ।
छ– कार्यकारिणी समिति द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।

4. कार्यकारिणी समिति का गठन :–

क– संस्था की कार्यकारिणी समिति में कम से कम 7 सदस्य होंगे । आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है आम सभा के निर्णय से ।
ख– कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा । नयी कार्यकारिणी के चुनाव तक पुरानी कार्यकारिणी समिति कार्यभार संभालेगी ।
ग– कार्यकारिणी समिति के किसी सदसय की जगह खाली होने पर कार्यकारिणी समिति बहुमत से नये सदस्य का चुनाव कर सके है, लेकिन वार्षिक बैठक में उसे विधिवत चुनाव करा लेना होगा ।

Farzana Begum

5. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

क– संस्था के चल एवं अचल सम्पत्ति का उत्तरदायी होगा ।
ख– संस्था के सभी कार्यो का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।
ग– उद्देश्य की पूर्ति हेतु वैधानिक कार्य सम्पादित करना ।
घ– उप शाखा का निर्माण करना ।
ङ– संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विचार–विमर्श करना ।
च– संस्था के प्रति होने वाली नियंत्रण को बरकरार रखना ।

6. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

अध्यक्ष

क– समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना ।
ख– समान मत आने पर अपने मत द्वारा निर्णय देना ।
ग– संस्था के सामान्य कार्य का संचालन करना ।
घ– संस्था के काम से भ्रमण करना एवं संस्था की देख–रेख करना ।

सचिव :–

क– संस्था की ओर से पत्राचार करना ।
ख– अध्यक्ष की अनुमति से संस्था की कार्रवाई का लेखा–जोखा रखना तथा प्रतिवेदन तैयार करना ।
ग– आम सभा एवं कार्यकारिणी की बैठक को बुलाना ।
घ– कार्यकर्त्ताओं की स्थायी एवं अस्थायी नियुक्ति करना एवं निलम्बन करना ।
ङ– आकस्मिक स्थिति में अध्यक्ष के सहमति से कार्य का निर्णय करना ।
च– आय व्यय का व्योरा रखना तथा समिति की बैठक में कार्य का आय व्यय प्रस्तुत करना ।
छ– समिति द्वारा पारित सभी कार्यो को करना ।
ज– संस्था द्वारा संचालित कार्यो के लिए दान या अनुदान प्राप्त करना ।
झ– संस्था के कानूनी कार्रवाइयों का संचालन करना ।
ट– संस्था द्वारा संचालित उपशाखाओं एवं निदेशित करना तथा उनके प्रति जबादेही रहना ।
ठ– संस्था के अभिलेखों तथा संचिकाओं को अपने संरक्षण में रखना ।

कोषाध्यक्ष

क– आय–व्यय का लेखा रखना ।
ख– आय–व्यय लेखा का वार्षिक विवरण आम सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।
ग– आय–व्यय लेखा का अंकेक्षण करना ।
घ– सदस्यता शुल्क एकत्र करना पर अपना एवं निदेशक का हस्ताक्षर करना ।

7. कोष का संचालन :–

संस्था के नाम प्राप्त राशि किसी राष्ट्रीयकृत / निबंधित बैंक या डाकघर में रखा जायेगा । संस्था के अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जायेगा । खाता का संचालन संस्था के दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से होगी जिसमें सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा ।

8. आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

क– समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।
ख– संस्था के आय–व्यय का लेखा पर विचार करना तथा स्वीकृति देना ।
ग– अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।
घ– अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना ।

Farzana Begum

9. प्रार्थित बैठक :–

2/3 सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा । आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक का आयोजन नहीं करते है तो आवेदक को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय के निर्णय हेतु बैठक का आयोजन कर सकते है ।

10. बैठक की सूचना :–

क– कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना सात दिन पूर्व दी जायेगी ।
ख– आम सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी ।
ग– कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी ।
घ– आम सभा की आवश्यक बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जायेगी ।
ङ– बैठक की सूचना सूचना पंजी में हस्ताक्षर प्राप्त कर दी जायेगी ।

11. कोरम :–

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी ।

12. निधि का अंकेक्षण :–

क– संस्था का आय–व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा के द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षित कराया जायेगा ।
ख– निबंधन महानिरीक्षक कभी भी अपने विवेक से संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते है । जिसका शुल्क संस्था द्वारावहन किया जायेगा ।

13. आय का साधन :–

क– सदस्यता शुल्क, प्रवेश एवं सेवा शुल्क ।
ख– दान एवं अनुदान एवं सरकारी साधनों से दान एवं ऋण ।

14. पंजी का निरीक्षण :–

संस्था की सभी पंजियॉ निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी जहॉ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है ।

15. नियमावली में संशोधन :–

नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।

16. कानूनी कार्रवाई :–

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की सलाह से की जायेगी ।

17. बैठक :–

क– कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी ।
ख– आम सभा की साधारण बैठक प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में होगी ।
ग– कार्यकारिणी समिति की अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।
घ– आम सभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

Farzana Begum

18. <u>विघटन एवं विघटनोपरान्त समपत्ति की व्यवस्था :–</u>

क– आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा ।

ख– संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 21, 1860 की धारा–13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

ग– संस्था के विघटनोपरान्त जो चल या अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर समान उद्देश्यवाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

....

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित नियमावली की सच्ची प्रति है ।

मो० जियाउल हक — Naushad Ali — Farzana Begum

अध्यक्ष — कोषाध्यक्ष — सचिव

391/2002-03
रैपीड एक्शन फॉर ह्यूमैन एडवान्समेंट ट्रेडिशन (राहत)

आम-सभा का प्रस्ताव, स्मृति-पत्र व नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि/ अभिलेखित

9.1.18
का. निर्बं०

संचिका संख्या–बी0एस0[3]–10927 / 2002 /136 दिनांक– 29-1-18

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय, बिहार, पटना
निबंधित संस्था में लाए गए संशोधन को
अभिलिखित करने का प्रमाण–पत्र

"रैपीड एक्शन फॉर ह्यूमैन एडभान्समेंट ट्रेडिशन (राहत)"
के संबंध में।
(संस्था का अद्यतन नाम)

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था द्वारा दाखिल निम्नलिखित आलेख्य संस्था निबंधन अधिनियम–21,1860 के उपबंध के अनुसार अभिलिखित किया जाता है।

संस्था के नाम परिवर्तन की सूचना–(पूर्व नाम– रैपीड एक्शन फॉर ह्यूमैन एडभान्समेंट ट्रेडिशन (राहत))" निबंधन संख्या– 391 / 2002–2003) परिवर्तित नाम–**XXXX**, .पता परिवर्त्तन की सूचना–(पूर्व पता– मुहल्ला– लाईन गुलबस्ती, खानकाह रोड, पो०+जिला– किशनगंज, जिला– किशनगंज, पिन कोड– 855107, बिहार।) परिवर्तित पता–(मुहल्ला– राहत कॉलोनी, कजलामनी रोड, निकट– कबिर चौक, पो०+थाना– किशनगंज, जिला– किशनगंज, पिन कोड– 855107, बिहार।), संशोधित स्मृति–पत्र– (वर्तमान / नया कार्यालय पता, नई कार्यकारिणी समिति एवं नए उद्देश्य के साथ) संशोधित नियमावली– (पूर्व नाम के साथ / परिवर्तित नाम के साथ) आम सभा के दिनांक– 20.08.2017 एवं दिनांक– 25.09.2017 के प्रस्ताव की सच्ची प्रतिलिपि।

25.1.18

वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्रीमती फरजाना बेगम, (सचिव)
"रैपीड एक्शन फॉर ह्यूमैन एडभान्समेंट ट्रेडिशन (राहत)"
कबिर चौक, पो०+थाना– किशनगंज,
जिला– किशनगंज, पिन कोड– 855107, बिहार।

को उनके पत्रांक–शून्य, दिनांक– 26.12.2017 के प्रसंग में अग्रसारित।

25.1.18

वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

№ 002269

सत्यमेव जयते

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 391 वर्ष 2002-2003

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि रैपिड एक्शन फॉर ह्यूमैन एडभान्समेंट ट्रेडिशन (राहत)

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख बारह मास अगस्त वर्ष दो हजार दो को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

THE SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL REGISTRATION BIHAR

12.8.02

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना ।

वि०स०मु० (निबन्धन) 1 —II—10,000—12-8-2000—पी० एन० सिंह